

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता :: नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज स्वशासी समिति जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/23/

दिनांक /08/2023

"आदेश"

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार स्वशासी समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल अस्पताल में रिक्त सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / स्था/राज/23/5597 जबलपुर दिनांक 03/07/2023 के तहत नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, एवं चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 17/07/2023 तक का अवसर प्रदान किया गया था।

उक्त आदेश के तहत निर्धारित समय सीमा में कार्य पर उपस्थिति नहीं देने के कारण सरल क्रमांक 04 एवं क्र. 08 में अनुसूचित जाति श्रेणी से डॉ. पूनम सिंह चिरगैया एवं डॉ. सुनील कुमार लिहेतिया एवं सरल क्रमांक 06 में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से डॉ. विनीत कुमार साहू की उम्मीदवारी उक्त चयनित सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पद से निरस्त की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति)
मेडिकल कालेज जबलपुर
जबलपुर दिनांक 14/08/2023

प. क्रमांक/स्था/राज/23/ 7133

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल ।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
4. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
6. स्थानीय लेखाशाखा की ओर ।
7. संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
8. स्थानीय छात्र/केन्द्रीय ग्रंथालय/लीगल/कैश शाखा की ओर मेडिकल कालेज जबलपुर ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति)
मेडिकल कालेज जबलपुर